लोक सुनवाई का विवरण

विषय :– **ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार मे0 श्री बजरंग पॉवर एंड इस्पात लिमिटेड, ग्राम टंडवा एवं कुंदरू, तहसील तिल्दा, जिला रायपुर में प्रस्तावित क्षमता विस्तार के तहत् ऑयरन ओर बेनिफिकेशन 0.6 से 2.0 मिलियन टन/वर्ष एवं पैलेटाईजेशन प्लांट 0.6 से 1.4 मिलियन टन/वर्ष के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 22.10.2011 को आयोजित लोक सुनवाई का विवरण।**

मे0 श्री बजरंग पॉवर एंड इस्पात लिमिटेड द्वारा ग्राम टंडवा एवं कुंदरू, तहसील तिल्दा, जिला रायपुर में प्रस्तावित क्षमता विस्तार के तहत् ऑयरन ओर बेनिफिकेशन 0.6 से 2.0 मिलियन टन/वर्ष एवं पैलेटाईजेशन प्लांट 0.6 से 1.4 मिलियन टन/वर्ष के लिये लोक सुनवाई कराने बावत् छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मण्डल में आवेदन किया गया। दैनिक भास्कर (रायपुर संस्करण) एवं टाईम्स ऑफ इंडिया (दिल्ली संस्करण) समाचार पत्र में लोक सुनवाई की सूचना प्रकाशित कर दिनांक 22.10.2011 दिन शनिवार को दोपहर 12:00 बजे पंचायत भवन नवीन परिसर तिल्दा रोड, ग्राम टंडवा, तहसील तिल्दा, जिला रायपुर में सुनवाई नियत की गई।

दिनांक 22.10.2011 को उद्योग के प्रस्तावित क्षमता विस्तार की लोक सुनवाई अपर कलेक्टर बलौदाबाजार, जिला रायपुर श्री सैयद अकबर अली हाशमी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई के दौरान श्री आर.के. शर्मा क्षेत्रीय अधिकारी, श्री चन्द्राकर तहसीलदार तिल्दा, श्री एस.के. गोयल उद्योग प्रतिनिधि एवं ग्राम पंचायतों के मान्नीय सरपंच सहित आस–पास के गांवों से आये हुये लगभग 150 ग्रामीणजन उपस्थित थे। कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :–

1. सर्वप्रथम उपस्थित लोगों की उपस्थिति दर्ज कराने की प्रक्रिया आरंभ की गई। जिन लोगों द्वारा उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर किये गयें है, उनकी सूची **संलग्नक–1** अनुसार है।

2. लोक सुनवाई के आरंभ में सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, जिला रायपुर द्वारा प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् लोक सुनवाई के संबंध में जानकारी दी गई।

3. अपर कलेक्टर श्री सैयद अकबर अली हाशमी ने कहा कि भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के तहत मे0 श्री बजरंग पॉवर एंड इस्पात लिमिटेड के द्वारा ग्राम टंडवा एवं कुंदरू तहसील तिल्दा जिला रायपुर में प्रस्तावित क्षमता विस्तार के तहत ऑयरन ओर बेनिफिकेशन 0.6 से 2.0 मिलियन टन/वर्ष एवं पैलेटाईजेशन प्लांट 0.6 से 1.4 मिलियन टन/वर्ष के लिये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में लोक सुनवाई बाबत आवेदन किया गया है। उक्त परियोजना से संबंधित ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं सार सॉफ्ट कापी सहित कार्यालय कलेक्टर जिला रायपुर, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जिला रायपुर, निदेशक पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय अक्षय हॉस्पीटल के पास लिंक रोड नं.–3 रविशंकर नगर पोस्ट ऑफिस भोपाल, सदस्य सचिव छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल 1–तिलक नगर शिव मंदिर

चौक मेन रोड अवंति विहार रायपुर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला रायपुर, कार्यालय ग्राम पंचायत टंडवा तहसील तिल्दा जिला रायपुर, कार्यालय ग्राम पंचायत कुंदरू तहसील तिल्दा जिला रायपुर एवं क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल न्यू एच.आई.जी.–9, 10, 11 टाटीबंध रायपुर स्थित कार्यालयों में अवलोकन हेतु उपलब्ध था। इस परियोजना के लिए लोक सुनवाई आज दिनांक 22.10.2011 दिन शनिवार को दोपहर 12 बजे पंचायत भवन नवीन परिसर तिल्दा ग्राम टंडवा एवं कुंदरू में नियत है। उन्होने कहा कि मुझे कलेक्टर महोदय रायपुर द्वारा नामांकित किया गया है, मैं लोक सुनवाई की अध्यक्षता के लिये उपस्थित हूं।

तत्पश्चात मे0 श्री बजरंग पॉवर एंड इस्पात लिमिटेड के प्रतिनिधि को परियोजना के संबंध में जानकारी देने हेतु निर्देशित किया गया।

मे0 श्री बजरंग पॉवर एंड इस्पात लिमिटेड के प्रतिनिधि श्री एस.के. गोयल द्वारा परियोजना के संबंध में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि गोयल ग्रुप छत्तीसगढ़ के प्रमुख उद्योग घरानों में से एक है। और कंपनी ने स्टील में सन् 1990 से अपना काम शुरू किया है और आज इस कंपनी की क्षमता 5 मिलियन टन स्टील बनाने की है और अभी हाल ही में अक्टूबर 2010 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से यहां एकीकृत इस्पात संयंत्र लाने के लिए पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त हुई है और इसी के तहत छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जनवरी महीने में उद्योग की स्थापना हेतु सहमति प्रदान की गई है अब हमारी कंपनी द्वारा स्थापित किये जाने वाले पैलेटाईजेशन प्लांट की क्षमता 0.6 से 1.4 मिलियन टन/वर्ष तथा ऑयरन ओर बेनिफिकेशन प्लांट की क्षमता 0.6 से 2.0 मिलियन टन/वर्ष करनी है, बाकी शेष प्लांट पूर्वानुसार रहेगा। प्लांट में कुल 13 आयटम हैं उनमें से 11 पूर्वानुसार रहेंगे, केवल इन दो आयटम की क्षमता विस्तार के लिए जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा गया है। आपके द्वारा आपत्तियां एवं सुझाव देने से पहले मैं परियोजना क्षेत्र के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। परियोजना क्षेत्र ग्राम टंडवा एवं कुंदरू, ब्लाक तिल्दा जिला रायपुर है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 280 मीटर है और ये टोपोशीट 60 जी/15 में है। इसका वर्तमान भू–उपयोग कृषि है। संपूर्ण परियोजना हेतु कुल भूमि की आवश्यकता 350 एकड़ है इसमें शासकीय भूमि 50 एकड़ एवं निजी भूमि 300 एकड़ है। यह राजमार्ग से करीब 12 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। एन.एच. 200 से यह 12 कि.मी. तथा हवाई अड्डे से करीब 38 कि.मी. दूरी पर है, समीपस्थ शहर तिल्दा है, जिसकी दूरी 7 कि.मी. है। यहां से बिलारी रिजर्व फॉरेस्ट की दूरी 10 कि.मी. है तथा भांटापारा नहर जो जल का स्त्रोत है 3 कि.मी. दूरी पर है। क्षमता विस्तार के तहत् 25 एम.जी.डी.जी. (प्रतिदिन 125 घनमीटर) पानी की आवश्यकता होगी और यह पानी शिवनाथ नदी से पाईपलाईन के तहत लाया जायेगा। परियोजना में भूमिगत जल का उपयोग नहीं किया जायेगा, सतही जल डैम बनने के बाद एनीकेट के द्वारा लाया जायेगा। इस क्षमता विस्तार परियोजना में 5 मेगावॉट अतिरिक्त विद्युत की आवश्यकता होगी और इसकी आपूर्ति हमारे स्वंय के कैप्टिव पॉवर प्लांट के माध्यम से की जावेगी। परियोजना क्षेत्र में पर्यावरण अध्ययन किया गया है। परियोजना क्षेत्र का अधिकतम तापमान 45.8

सेंटीग्रेड तथा न्यूनतम 19.6 सेंटीग्रेड दर्ज किया गया है, यहां आद्रता अधिकतम 87 तथा न्यूनतम 9 है। इस क्षेत्र में हवा की दिशा दक्षिण पश्चिम तथा पश्चिम है। कुल 10 स्थानों पर वायुमंडलीय हवा की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया गया है। दो बफर जोन में हवा की गुणवत्ता के सभी आंकड़े निर्धारित मापदंड के अंदर हैं। परियोजना क्षेत्र में वायु गुणवत्ता के अनुमानित आंकलन में वायु प्रदूषण के नतीजे निर्धारित मानकों के अंदर पाये गये हैं। जल नमूनों का भी परीक्षण गया है, जो निर्धारित मानकों के अनुरूप पाये गये हैं। इस प्रस्तावित परियोजना से जल की गुणवत्ता पर नगण्य प्रभाव पड़ेगा। प्रस्तावित परियोजना में रेन वॉटर हॉर्वेस्टिंग प्रणाली स्थापित की जायेगी, जिससे परियोजना क्षेत्र की परिधि में भूजल का संवर्धन होगा और भू जल स्तर बढ़ेगा। परियोजना के संयंत्र में जल उपयोग के पश्चात उत्पन्न दूषित जल का उपचार के बाद पुनः सिंचाई हेतु उपयोग किया जावेगा, इससे जल का अपव्यय नहीं होगा। परियोजना क्षेत्र के अध्ययन में ध्वनि का स्तर लिमिट में है। मिट्टी के जो 10 नमूने लिए गये उनका परीक्षण किया गया है, जो निर्धारित मानकों के अनुरूप पाये गये हैं। संयंत्र में प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थापना की जायेगी और इन उपकरणों को लगाने के बाद किसी भी तरह का उत्सर्जन या किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं होगा तथा किसी प्रकार का दूषित जल निस्सारित नहीं होगा। इस परियोजना में अतिरिक्त रूप से 150 लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। सामाजिक, आर्थिक विकास प्रभावित नहीं होगा। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस विस्तार से 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। पर्यावरण संरक्षण हेतु वृक्षारोपण किया जायेगा। विकास कार्य हेतु जो भी प्रस्ताव आयेगा वह स्थानीय ग्राम पंचायत और प्रशासन के साथ मिलकर कम्पनी द्वारा लागू किया जायेगा। प्लांट के अंदर पक्की सड़कों का निर्माण एवं सड़क के दोनों ओर समुचित निकासी की व्यवस्था की जायेगी। सड़कों तथा वाहनों का उचित रख–रखाव किया जायेगा प्रस्तावित सड़क के चारों ओर वृक्षारोपण करके हरित पट्टिका बनाई जायेगी। ट्रकों की ओव्हरलोडिंग नहीं होगी। कच्चे माल को टैंक से लाया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण के रोकथाम के लिए मशीनों की उचित तथा नियमित मरम्मत की जावेगी। श्रमिको हेतु इयर प्लग आदि की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रस्तावित क्षेत्र में 33 प्रतिशत वृक्षारोपण किया जायेगा। सड़कों की नियमों के अनुसार मरम्मत होगी, ट्रकों की गति पर नियंत्रण होगा एवं अलग–अलग मौसम में ध्वनि स्तर का सर्वेक्षण होगा। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए मशीनों का समुचित रख–रखाव किया जावेगा। ध्वनि उत्पन्न करने वाले मशीनों में ध्वनि निरोधकों का उपयोग होगा तथा सुरक्षा उपायों जैसे – इयरप्लग आदि का प्रावधान किया जायेगा। उत्पन्न ठोस अपशिष्टों के खतरनाक कणों को पृथक किया जायेगा। प्रदूषित जल को फैक्ट्री के बाहर निस्सारित नहीं किया जायेगा। पर्यावरण प्रबंधन हेत ई.एस.पी., बैग फिल्टर आदि उपकरणों की स्थापना की जावेगी। यह पूंजीगत खर्च है, इसका वार्षिक रख रखाव का खर्च 50 लाख रूपए सालाना का प्रावधान किया गया है। वृक्षारोपण के लिए वानिकी शाखा एवं पर्यावरण अध्ययन एवं निदान के लिए पर्यावरण प्रबंधन शाखा की स्थापना कर उसमें विशेषज्ञों की नियुक्ति की जायेगी। कंपनी द्वारा अपनी सभी सामाजिक जिम्मेदारियां निभाई जा रही हैं, जिसके अंतर्गत स्कूल का निर्माण, पेयजल की सुविधा, सड़कों की

मरम्मत एवं चौड़ीकरण, क्षेत्र में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, निकट के क्षेत्र में खेलकूद एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा और भविष्य में भी इस क्षेत्र के विकास के लिए जो भी प्रस्ताव कंपनी के पास आएगा, उसका निर्वहन भी कंपनी द्वारा किया जायेगा। परियोजना में स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान किया जायेगा। निर्माण चरण में करीब 1 हजार लोगों को और कार्य चरण में लगभग 2,150 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। इस क्षेत्र के विकास के लिए सभी आधारभूत सुविधायें जैसे स्कूल, गेस्टहाउस, स्वास्थ्य केन्द्र, डिस्पेंसरी आदि उपलब्ध कराने के लिए जो भी संभव होगा सहायता उपलब्ध कराई जायेगी। प्रत्यक्ष एवं अप्रयत्क्ष रोजगार के द्वारा व्यापारिक संभावनायें बढ़ेंगी और सामाजिक प्रगति से बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य एवं विकास से जीवन स्तर उपर उठेगा। तो आप सभी से निवेदन है कि कृपया इस उद्योग का प्रस्ताव पर्यावरण स्वीकृति के लिए स्वीकार करें। इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं।

4. तत्पश्चात उपस्थित लोगों द्वारा उनके विचार व्यक्त करने की प्रक्रिया आरंभ की गई। विवरण निम्नानुसार है :–

1 श्री अर्जुनदास सोनवानी, ग्राम टंडवा ने कहा कि – यहां पर कंपनी खुलने से गांव में बेरोजगारी दूर होगी। बहुत खुशी की बात है कि चिकित्सा, जन सुविधायें आदि में सहयोग मिलेगा। अच्छी बात है कि कंपनी खुले और हम सहमत है।

2 श्री यशवंत वर्मा, ग्राम कुंदरू ने कहा कि – यदि कंपनी आस–पास के बेरोजगारों को, ग्राम टंडवा और कुंदरू के आसपास के ग्राम पचांयत के लोगों को इसी तरह नौकरी देती रहे तो इस प्लांट को लगने में हमें कोई आपत्ति नहीं है और हम इसका समर्थन करते है।

3 श्री पन्नालाल, ग्राम टंडवा ने कहा कि – यह सब जो आप कह रहे हैं, भविष्य में मुकर जाते है, और आप करना नहीं चाहते। मेरी 13 एकड़ जमीन उद्योग द्वारा क्रय की गई है, और मुझे रोजगार भी नहीं दिया गया है। बाहरी लोगों को लाकर काम करा रहे हैं। झूठा आश्वासन दे रहे हैं। आप यहां जो बोल रहे हैं वह सब लिखित में दिया जावे। प्लांट खोला जावे, कोई आपत्ति नहीं है, ग्राम टंडवा, कुंदरू में सरकारी दर से मुआवजा दिया जावे। झूठा आश्वासन नहीं देना चाहिये।

4 श्री ऐतवारी, ग्राम टंडवा ने कहा कि – यह जो आप बोल रहे हैं, वह अच्छा लगता है, यहां के लोगों को रोजगार एवं सहयोग देते रहें, हमारा समर्थन है।

5 श्री लालूराम वर्मा, ग्राम टंडवा ने कहा कि – उद्योगपति हम किसानों की जमीन झूठा आश्वासन देकर खरीद रहे हैं। जहां पर प्लांट लगाया जा रहा है वहां से वायु प्रदूषण एवं धूलकण से हमारी खेती नष्ट हो जाएगी और कृषि कार्य भी नष्ट हो जायेगा, जैसे सिलतरा और रावांभाठा की स्थिति है। ध्वनि, वायु प्रदूषण आदि से हमकों बचना है। हम इसका विरोध करते हैं, हम यह प्लांट टंडवा गांव में लगाने नहीं देंगे।

6 श्री मुन्नालाल गुप्ता, ग्राम टंडवा ने कहा कि – यह खुशी की बात है कि हमारे गांव में प्लांट बन रहा है, प्लांट में मजदूरों को उचित मजदूरी दी जानी चाहिये।

7 श्री बलराम वर्मा, ग्राम टंडवा ने कहा कि – जो जन सुनवाई कार्यक्रम रखा गया है उसकी मुनादी कराकर पहले जानकारी दी जानी चाहिये थी। इस जन सुनवाई की जानकारी कल 21 तारीख को मिली है, सुनवाई के पूर्व सही समय में जानकारी नहीं दी गई है। क्या यह सरकार और प्लांट के मिलीभगत से हो रहा है, यहां की भीड़ को देखते हुये तो यही लग रहा है।

8 श्री अर्जुनदास सोनवानी, ग्राम टंडवा ने कहा कि – जन सुनवाई की मुनादी 15 दिन पहले की जाकर इसकी सूचना चस्पा करा दी गई थी, आज भी कोटवार से मुनादी कराई गई है। इसकी सूचना पंचायत भवन में भी चस्पा की गई है, श्री बलराम जो बता रहे हैं, वह गलत है।

9 श्री विनोद वर्मा, ग्राम टंडवा ने कहा कि – आदरणीय कलेक्टर महोदय मैं आपको केवल इतना कहना चाहुंगा कि जिस उद्देश्य से हम लोग यहां बैठे हैं और यहां बलराम वर्मा जी ने कहा कि ग्राम कोटवार द्वारा मुनादी नहीं की गई है, जहां तक मुझे लग रहा है कि ग्राम पंचायत द्वारा मुनादी सही समय में नहीं कराई गई है। तभी यहां उपस्थिति नगण्य है। मैं अभी मुद्दे की बात में आना चाहूंगा कि यहां हम लोग बजरंग इस्पात एवं पावर की पर्यावरण स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिये एकत्रित हुये हैं। प्लांट को एनओसी दिये जाने से हमारे यहां का तापमान बढ़ेगा। आप सब इस सड़क से गुजरते होंगे, कलेक्टर महोदय से मैं आग्रह करूंगा कि जब यहां से गुजरें तो अपनी गाड़ी के कांच खोलकर एसी बंद करके गुजरें, ताकि पता चले कि कितना तापमान है यहां पर। इस स्थान पर बहुत बड़ा पावर प्लांट लग रहा है, इस प्लांट के लगने से यहां का तापमान 2 सेंटीग्रेड बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग की मार हम झेल ही रहे और प्लांट डालेंगे तब उसके बाद क्या स्थिति होगी यह गौर करने वाली बात है। इस पर गहन अध्ययन कीजिये, इसके बाद ही कोई निर्णय लीजियेगा। दूसरी बात केन्द्रीय पर्यावरण विभाग, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जो नियम बनते है वह उद्योगपतियों द्वारा तोड़ने के लिए बनते हैं। आप मे0 बजरंग पावर के अन्य प्लांटों में जाकर अवलोकन कीजिये की उनके द्वारा कितने नियमों का पालन किया जा रहा है, हम प्लांट लगाने से मना नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे मना करने से आपका काम नहीं रूकेगा। हम यह चाहते हैं कि इस कंपनी के और भी प्लांट हैं, आप वहां जाइये और जांच कीजिये तथा पता कीजिये की वहां पर्यावरण नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं। यदि आप इस प्लांट को पर्यावरण की एनओसी देते हैं, तो यह हमारे लिये हैजा एवं टीवी जैसी बीमारियों को निमंत्रण देने जैसा है, क्योंकि यहां सिलतरा जैसी स्थिति एवं प्रदूषण हो जाएगा। इस पर अच्छी तरह से विचार किया जावे एवं विचार के बाद निर्णय लिया जावे, आप स्वयं सक्षम है आप यहां के अधिकारी है आपका निर्णय सर्वमान्य होगा।

10 श्री कपूर बघेल, ग्राम टंडवा ने कहा कि – मैं 20 सूत्रीय समिति का पूर्व सदस्य हूं। मैं अभी यहां पहुंचा हूॅं। कोटवार ने मुनादि किया था कि जनसुनवाई दो बजे है, लेकिन जनसुनवाई यहां पर 12 बजे से ही शुरू हो गई है। मैं यह जानकारी लेना चाहता हूं कि किस उद्देश्य से यह जनसुनवाई हो रही है, कृपया एक बार रिपिट करने की कृपा की जावे। मैं जानकारी चाहूंगा कि किस उद्देश्य से यह जनसुनवाई रखी गई है।

11 अपर कलेक्टर श्री हाशमी ने कहा कि – आप अपनी बात कहिये।

12 श्री कपूर बघेल – मुझे जानकारी नहीं है कि किस उद्देश्य से जनसुनवाई रखी गई है।

13 अपर कलेक्टर श्री हाशमी ने बताया कि – कार्यवाही 12 बजे शुरू हो चुकी है और यह पर्यावरण से संबंधित है। आप को जो कुछ कहना है आप बोलते जायें।

14 श्री कपूर बघेल – इस पर तो मिलियन लिखा है। गांव वाले तो समझ नहीं पायेंगे कि मिलियन क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जहां छोटी झाड़ी का जंगल है वहां प्लांट नहीं लगना चाहिये और जो कृषि भूमि है वहां भी प्लांट नहीं लगाया जाना चाहिये, पर यहां तो प्लांट लगाया जा रहा है। पूर्व में जो जनसुनवाई हुई थी उस पर मैने आवेदन दिया था, उस आवेदन पर आज तक कोई कार्यवाई नहीं हुई है और इसके संबंध में ग्रामवासियों को कोई जानकारी नहीं है। यहां तक कि सिलतरा में तो राज्यपाल महोदय ने कहा था कि यहां प्रदूषण बहुत फैल रहा है। यदि यह प्लांट लगेगा तो पानी के लिए 1000 से 1500 फीट बोरिंग होगा, जिससे सारा पानी वहीं चला जायेगा और कृषि प्रभावित होगी। हम गांववासी पर्यावरण को लेकर इस प्लांट का विरोध करते हैं और साथ ही पूर्व में दिए गए आवेदनों की जानकारी चाहते हैं। आनन–फानन में कार्यवाही शुरू हुई है, जनसुनवाई 2 बजे बताकर 12 बजे शुरू कर दी गई है। निवेदन है कि लिखित आवेदन देने पर हम रसीद भी लेंगे।

15 अपर कलेक्टर श्री हाशमी ने बताया कि – सभी बातों का जवाब दिया जायेगा। आप बस बोलते जाइये, और अगर आप अपनी बात पूरी कर लिये हैं तो दूसरों को मौका दीजिये।

16 श्री कपूर बघेल, ग्राम टंडवा ने कहा कि – सर साल भर हो गया गांव वालों को विरोध करते हुए अभी तक जवाब नहीं मिला है। कुछ नहीं होने वाला, बस जनता प्रभावित होगी। यहां जो पावर प्लांट लगेगा, उससे 40 टन मटेरियल निकलेगा जिससे रास्ता खराब होगा, अम्लीय वर्षा होगी, धान का कटोरा कहलाने वाला छत्तीसगढ़ गिट्टी–पत्थर का कटोरा कहलायेगा।

17 अपर कलेक्टर श्री हाशमी ने कहा कि – आपकी बातों को विडियोग्राफी से

रिकार्ड किया जा रहा है, टेप किया जा रहा है। आप जो भी कह रहे हैं, उसे लिखा भी जा रहा है। यह मेरी जिम्मेदारी है कि आपकी कही हुई बातों को दर्ज करके पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार को रिपोर्ट प्रेषित की जावे। निर्णय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार को करना है, मैं यहां निर्णय करने नहीं आया हूं। आप की बात को केन्द्र सरकार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। उपस्थित लोगों द्वारा जो भी आपत्ति की जा रही है, उसकी सी.डी. प्रेषित जायेगी।

18 श्री कपूर बघेल – रिकार्ड तो हो रहा है, किंतु हम लोगों को प्रुफ चाहिये। पावती प्राप्त करने के लिये क्या हम लिखित आवेदन करें।

19 अपर कलेक्टर श्री हाशमी ने बताय कि – हां आवेदन कर सकते हैं लिखित रूप से भी आप अपनी आपत्ति को दर्ज करा सकते है।

20 श्री के.एल. वर्मा, ग्राम हथबंद ने कहा कि – हथबंद के किसानों से कम से कम 30 एकड़ जमीन खरीदी गई है और सबसे पहले मैंने जमीन बेची थी। खरीददार ने कृषि संबंधित फार्म तैयार करने के लिए जमीन खरीदी थी, उस समय यह नहीं बताया गया था कि जमीन प्लांट के लिये खरीदी जा रही है और हमने जमीन 1 लाख रूपये एकड़ में बेच दी पर अब जमीन का मूल्य 10 लाख रूपये एकड़ मिल रहा है।

21 श्री अर्जुनदास सोनवानी, ग्राम टंडवा ने कहा कि – श्री कपूर बघेल जी द्वारा कहा गया कि ग्रामवासी लगातार प्लांट का विरोध कर रहे हैं, यह गलत है। इस ग्राम पंचायत से जितने भी मजदूर काम पर जा रहे हैं, वे सब प्लांट में जा रहे हैं, इसलिए कंपनी का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। उनकी पारिवारिक स्थिति सुधर रही है। विरोध होता तो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता, कोई विरोध नहीं है हमारी तरफ से।

22 श्री यशवंत वर्मा, ग्राम कुंदरू ने कहा कि – यदि प्लांट का विरोध होता तो इतनी तेजी से इसका कार्य नहीं चल रहा होता। हमें मालूम है कि प्लांट के खुलने से हमारे क्षेत्र का विकास होगा और आसपास जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उन लोगों को आगे चलकर नौकरी मिलेगी, और रही बात पर्यावरण सुरक्षा की तो चाहे जीएमआर हो या बजरंग पावर आप देखिये प्रदूषण को हटाने के लिए अभी से वृक्षारोपण का कार्य बजरंग में शुरू हो चुका है। आधे से ज्यादा लगभग 10–20 टैंकर वृक्षारोपण की सिंचाई में लगे हैं, यह हमारे भाई साहब लोग जाकर देखना चाहे तो जाकर देख सकते हैं। प्लांट में भी मैं कई बार जाकर देखा हूं वहां भी पर्यावरण की सारी व्यवस्थाओं के साथ ये लोग प्लांट खोल रहे हैं। यदि प्रदूषण की स्थिति बनी रहेगी तो सभी लोग इसका विरोध करेंगे। प्लांट अच्छे से चलेगा, प्रदूषण का ख्याल रखा जायेगा, गांव का विकास होगा। मैं समझता हूं इस प्लांट का कोई भी विरोध नहीं करेगा, क्योंकि प्लांट चालू हुये 4 महीने हुये हैं और इन चार महीनों में तालाब का गहरीकरण, आसपास गांव के लिए कई कार्य बजरंग

पावर द्वारा कराया जा चुका है। सामाजिक कार्यक्रमों में आर्थिक सहयोग भी मिल रहा है। इस तरह इस प्लांट के आने से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

23 श्री राजूराम वर्मा, ग्राम टंडवा ने कहा कि – सर्वे कराया जावे कि बजरंग प्लांट में कितने मजदूर जा रहें हैं, और कितने मजदूरों को काम दिया जा रहा है। एक भी मजदूर प्लांट में नहीं जा रहा है और जो मजदूर जा रहे हैं वह नगण्य है। हमारे गांव का कोई विकास नहीं किया गया है, न रोशनी दिये न पानी की व्यवस्था की गई है, आप लोग झूठा आश्वासन दे रहे हैं, और इसका हम भरपूर विरोध करते हैं।

24 श्री रामपाल वर्मा, ग्राम टंडवा ने कहा कि – आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा, ग्राम पंचायत से एनओसी दी जा चुकी है, यह यहां दूसरी जन सुनवाई है, आप अपनी आपत्ति दर्ज करवाईये, आगे की कार्यवाही केन्द्र तय करेगा।

25 श्री के.एल. वर्मा, ग्राम हथबंद ने कहा कि – हमने अपनी लगभग 10 एकड़ जमीन यहां टंडवा के लोगों को 1 लाख रूपये एकड़ में फार्म हॉउस बनाने के लिये बेची थी, उस समय यह पता नहीं था कि यह जमीन उद्योग के लिये 10–10 लाख रूपये एकड़ में बेची जायेगी। हमारी यह शिकायत दर्ज कीजिये।

26 श्री चैन कुमार राय, ग्राम टंडवा ने कहा कि – इस क्षेत्र में पूर्व से स्थापित उद्योग मे0 सेंचुरी सीमेंट लिमिटेड, बैकुंठ द्वारा आज तक हमें कोई सुविधा नहीं दी गई है और मे0 श्री बजरंग पॉवर एंड इस्पात लिमिटेड से आज तक सुविधा की बात ही हो रही है। खुदाई की गई है, पर आज तक हम पानी के लिये परेशान हैं, तालाब गहरीकरण नहीं हुआ है। जयस्तंभ तालाब, और न ही झीरसागर तालाब कोई भी तालाब गहरा नहीं हुआ है। प्लांट खोलना चाहते हैं तो खोल लें, पर हमारे यहां पानी की सुविधा होनी चाहिए। आज तक पानी नहीं मिला है, पानी के लिये जानवर आदमी दोनों परेशान हैं।

27 श्री शिवकुमार वर्मा, ग्राम टंडवा ने कहा कि – आज कौन सरपंच टंडवा को बेच रहा है। कहते थे कि नया सरपंच आयेगा तो खुशहाली लायेगा, कंपनी नहीं खुलेगी फिर आज क्यों प्लांट लग रहा है। प्लांट लगने का कारण क्या है।

28 अपर कलेक्टर श्री हाशमी ने कहा कि – ग्राम टंडवा एवं कुंदरू एवं आसपास से आये हुये ग्रामवासीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण आप सब ने इस लोक सुनवाई में भाग लिया। अपनी बातों को निर्भिकता के साथ आप लोगों ने रखा है, आप की प्रत्येक आपत्तियों को, प्रत्येक सुझावों को और तमाम अच्छी बातों को और आपत्तियों को, जो भी आपने कहा है उसको शब्दशः आपके शब्दों में ही लिखा जाएगा, दर्ज किया जाएगा और इसकी प्रति राज्य सरकार के माध्यम से केन्द्र सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रेषित की जायेगी। एक आपत्ति थी कि इस जन सुनवाई की पूर्व सूचना नहीं थी उसके बारे में मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि समाचार पत्र दैनिक भास्कर में 20 सितंबर 2011 को इस बावत

सूचना का प्रकाशन हुआ है। इसी प्रकार टाईम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र में भी 20 सितंबर 2011 को सूचना का प्रकाशन हुआ है और यह सभी कार्यवाहियां पर्यावरण विभाग के द्वारा की गई। पर्यावरण विभाग ने इसकी सूचना कलेक्टर कार्यालय, महाप्रबंधक जिला व्यापार एव उद्योग विभाग, कार्यापालन अधिकारी जिला पंचायत, सरपंच ग्राम टंडवा एवं ग्राम कुंदरू को भी दी गई है, जिसकी कार्यालयीन सील के साथ पावती है। इस सूचना की जानकारी के कारण ही इतनी बड़ी तादाद में आप सब यहां उपस्थित हुए हैं। विडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी में स्पष्ट है कि दोनों ग्राम के नागरिक उपस्थित हुए हैं। आपको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, आप लोगों के द्वारा जो भी आपत्ति दर्ज कराई गई है, उसे राज्य शासन को प्रेषित किया जायेगा। आप सभी का धन्यवाद आप सभी ने सद्भावनापूर्ण वातावरण में इस लोक सुनवाई को संपन्न होने दिया। इसी के साथ मैं इस कार्यवाही को समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ लोकसुनवाई की कार्यवाही समाप्त की गई। संपूर्ण लोकसुनवाई की विडियोग्राफी की गई है। लोकसुनवाई के दौरान कुल 10 अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं।

सैयद अकबर अली हाशमी
अपर कलेक्टर, जिला रायपुर (छ.ग.)